सा.क्षे./ले.प.प्रति.सं.-17/2017

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, देहरादून 01/2017 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, एवं श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.07.2018 से 30.07.2018 तक श्री नीरज त्रंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री एस के डंग, पर्यवेक्षक, एवं श्री रामसनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनाँक 11/01/2017 से 16/01/2017 तक श्री पी सी श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी, जिसमे माह 04/2017 से 12/2016 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **समस्त गढ़वाल क्षेत्र**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिकअवशेष		**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत(-)**
	स्थापना	**गैरस्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	1176.8	1160.64	39.74	39.65	-	16.25
2016-17	-	-	1249.73	1249.52	53.64	52.36	-	0.69
2017-18	-	-	1318.47	1318.47	47.00	46.55	- -	0.45
2018-19 (जून 2018 तक)	-	-	1414	391.24	44.26	8.52	-	-

(ब)Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स)केन्द्रपुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गतप्राप्तनिधि एवं व्यय विवरणनिम्नवत् हैः- शून्य

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

पुलिस अधीक्षक
पुलिस उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017, 09/2017**,** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

प्रस्तर :---------- शून्य ----------

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:1- कार्यालय में प्रयुक्त मशीनों की AMC न करवाया जाना।

सामान्य वित्त नियम 2005 के अनुसार "Depending on the cost and nature of the goods to be purchased, it may also be necessary to enter into maintenance contract(s) of suitable period either with the supplier of the goods or with any other competent firm, not necessarily the supplier of the subject goods. Such maintenance contracts are especially needed for sophisticated and costly equipment and machinery. It may however be kept in mind that the equipment or machinery is maintained free of charge by the supplier during its warranty period or such other extended periods as the contract terms may provide and the paid maintenance should commence only thereafter."

कार्यालय में प्रयुक्त मशीनों से संबंधी पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि मशीनों की स्थिति निम्नवत थी :

क्र. सं.	वस्तु का विवरण	क्रय की तिथि/प्राप्ति की तिथि	मूल्य	वारंटी अवधि
1	कम्प्युटर-4	02 अभिसूचना मुख्यालय से प्राप्त दिनाँक 3/6/2008 02 अभिसूचना मुख्यालय से प्राप्त दिनाँक 15/6/2011	अभिसूचना द्वारा मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया	समाप्त
2	कम्प्युटर एसर-4	27/3/2015	38,500 प्रति कम्प्युटर	समाप्त
3	HP AIO 2	1 क्रय 2/2/17 1 अभिसूचना मुख्यालय देहरादून से प्राप्त	41,500 मूल्य का उल्लेख नहीं	
4	लैपटाप 4	मुख्यालय से प्राप्त 4/3/08 3/6/14 18/7/17 30/12/17	मुख्यालय द्वारा मूल्य का उल्लेख नहीं	
5	फोटोस्टेट मशीन	25/4/08 18/7/16 23/4/18	-do-	

उपरोक्त सभी कम्प्युटर तथा 02 फोटोस्टेट मशीन की वारंटी अवधि पूर्ण हो चुकी थी, किन्तु इनके संचालन हेतु AMC नहीं कारवाई गयी थी।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि मद में पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण तथा अनुबंध धनराशि से कम धनराशि में रख-रखाव होने के कारण अनुबंध नहीं किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि AMC न किया जाना GFR के नियमों के विरुद्ध है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर</u>:1- स्वीकृति के सापेक्ष कार्यालय के विभिन्न पदों का रिक्त रहना।

कार्यालय की Manpower Deployment की समीक्षा के दौरान पाया गया कि स्वीकृत नियतन के सापेक्ष कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति, एवं तत्संबंधी रिक्तता निम्नवत पायी गयी:

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत नियतन	कार्यरत	रिक्तता
1	पुलिस अधीक्षक(क्षेत्रीय)	01	NIL	01
2	मंडलाधिकारी	05	02	03
3	निरीक्षक	11	08	03
4	उप निरीक्षक	33	22	11
5	उ.नि. (एम.) स्टेनो.	05	NIL	05
6	स.उ.नि. (एम.)	06	01	05
7	उ.नि. (वि.श्रे.)/मु.आ.	52	34	18
8	चालक	05	NIL	05
9	ओ.पी.	06	04	02

इसके अतिरिक्त स्वीकृत नियतन से अधिक उपलब्धता के संदर्भ में उ.नि. (एम) हेतु 02 स्वीकृत नियतन के सापेक्ष 03 की उपलब्धता, तथा मु. आ. (वि. श्रे.)/आरक्षी हेतु 75 स्वीकृत नियतन के सापेक्ष 96 की उपलब्धता पायी गयी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर, इकाई द्वारा बताया गया कि कार्यालय में मुख्यालय स्तर से नियुक्तियाँ की जाती हैं। उप-निरीक्षकों के पदों के सापेक्ष कम उपनिरीक्षक उपलब्ध होने के कारण मुख्यालय से उनकी पूर्ति की जा रही है। वर्तमान में स्वीकृत नियतन 201 के सापेक्ष 170 कार्मिक ही परिक्षेत्र में नियुक्त हैं। मंडलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार में नियुक्त 01 ASI(M) के पदोन्नति होने पर SI (M) की संख्या 03 है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:2-</u> बिना चालकों के सरकारी वाहनों का संचालन किया जाना।

कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्तमान में विभाग के पास पाँच वाहन हैं जिनका संचालन बिना चालकों के किया जा रहा है। पाँच वाहनों में से तीन वाहनों पर तीन चालकों को संबद्ध किया गया है, तथा शेष दो वाहनों का संचालन कांस्टेबल द्वारा किया जा रहा है। इन कर्मचारियों द्वारा वाहन के संचालन हेतु कोई लिखित आदेश भी नहीं पाया गया।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि मौखिक निर्देशानुसार ही वाहनों का संचालन किया जा रहा है। इकाई द्वारा बताया गया कि उन्हे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि क्या कांस्टेबल के service rule में वर्णित है कि कोन्स्टेबलों से चालक का कार्य लिया जा सकता है अथवा नहीं। साथ ही यह भी बताया गया कि वर्ष 2015 से कोन्स्टेबलों से चालक का कार्य लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चालक की नियुक्ति हेतु मुख्यालय को किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोन्स्टेबलों से चालक का कार्य लिया जाने संबंधी कोई भी आदेश इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। साथ ही कोन्स्टेबलों से चालक का कार्य लिया जा सकता है या नहीं, इस संबंध में भी कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:3-</u> GVR की कटौती नवनिर्धारित दर से न किया जाना ₹ 1,600/-

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 84/xxvii(7)50(06)/2017 दिनांक 7/6/2017 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हे वाहन आवंटित है, को 200 km प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष मे प्रतिमाह प्रतिवाहन के आधार पर कार के लिए ₹ 500 तथा जीप के लिए ₹ 400 जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अंतर्गत राजकीय कोष मे जमा किए जाने वाले प्रतिमाह प्रतिवाहन की वर्तमान राशि मे वृद्धि करते हुए 1/5/2017 से प्रत्येक वाहन हेतु ₹ 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाए।

वेतन बिल पत्रवालियों की जांच में पाया गया कि श्री रंजीत सिंह राणा , पुलिस उपाधीक्षक के वेतन से मई 2017 से अगस्त 2017 में ₹ 2000 के स्थान पर ₹ 400 की दर से GVR की कटौती की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6400/- (1600*4) की कम कटौती की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि शासनादेश विलंब से प्राप्त होने के कारण GVR की कटौती नहीं की गयी तथा उक्त कटौती जुलाई के वेतन से की जाएगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:4-</u> निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी का लंबित रहना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196, तथा 197 निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal से संबन्धित हैं। इन नियमों में निष्प्रयोज्य वस्तुओं को dispose करने के संदर्भ में विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन है।

कार्यालय की वाहन संबंधी पत्रावली की जाँच के दौरान पाया गया कि मोटरसाइकिल संख्या UA 12 3718 (हीरो होंडा 2004 मॉडल), तथा मोटरसाइकिल संख्याUK 07S 9887 (बजाज डिस्कवर 2007 मॉडल) कार्यालय में निष्प्रयोज्य अवस्था में थे, जिसके कारण उनके मूल्य में ह्रास हो रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर बताया गया कि वाहन की नीलामी संबंधी कार्यवाही प्रचलित है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षणप्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तरसंख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तरसंख्या	STAN
42/2016-17	-	1	-

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- **शून्य**

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री वी. के. एस. कार्की	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	1/17	30/9/17
2.	श्री रंजीत सिंह राणा	पुलिस उपाधिक्षक	1/10/17	29/11/17
3.	सुश्री स्वीटी अग्रवाल	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	30/11/17	04/01/18
4.	श्री रामचन्द्र राजगुहा	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	05/01/18	18/5/18
5	सुश्री स्वीटी अग्रवाल	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	19/5/18	28/5/18
6	श्री हरेन्द्रपाल सिंह	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	29/5/18	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र